

पत्र संख्या : 7 वि.शा./मु.ल.सिं.राँची-07-01/2020 ज.स.- 96
झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 04/11/2020


विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रुपये 361.763 लाख (रुपये तीन करोड़ इकसठ लाख छिहत्तर हजार तीन सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या- 63/12.02.2019; 83/27.01.2017; 26/19.08.2019
महाशय,


वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना/ 19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S470200796190545	361.763
आवंटित राशि - रुपये तीन करोड़ इकसठ लाख छिहत्तर हजार तीन सौ मात्र।				

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध राशि रु. 2520.00 लाख (पच्चीस करोड़ बीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि योजना-सह-विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-1643, दिनांक-02.09.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजट उपबंध के 25% की राशि के अन्तर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)




(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
 10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
 11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
 12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारत करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
 13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
 14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
 15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
 16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
- नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 96

राँची, दिनांक :- 09/11/2020


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/खूँटी/लोहरदगा/चक्रधरपुर/जमशेदपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 96

राँची, दिनांक :- 09/11/2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण
बजट उपबंध (2020-21) - रूपये 2520.00 लाख
विपत्र कोड- 50S470200796190545

प्रशासनिक स्वीकृति																(राशि लाख रुपये में)				
क्र.०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रसंग	राशि	Online प्रसंग	एकराशनामा की राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020-21 में			योजना पर कुल आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति					
										पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, चूँटी (RNCIRAR001)	राँची	बुण्डू	डाहुडीह नाला पर एकल चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	57.526	2097 dt. 12.02.2019	47.897	44.090	0.000	3.559	3.559	47.649	55549						
2		राँची	सोनाहातु	गहरा नाला पर चेकडैम निर्माण		48.157		2.000	0.000	21.510	21.510	23.510								
3		राँची	लमाड़	हदगा सोरिया नाला पर श्रृं० चेकडैम निर्माण		187.582		159.000	0.000	3.558	3.558	162.558								
4		चूँटी	हदगा चौली नाला पर एकल चेकडैम निर्माण	110.332		96.000		0.000	0.825	0.825	96.825									
5		राँची	बुण्डू	मुसरीडीह नाला पर श्रृं० चेकडैम निर्माण		120.866		87.000	0.000	18.586	18.586	105.586								
6	लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची	चूँटी	रनिया	सिकरिया नाला पर श्रृं० चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	158.197	2097 dt. 12.02.2019	140.698	113.000	0.000	27.485	27.485	140.485	55550						
7		राँची	राहे	सुअरगा नाला पर चेकडैम निर्माण		80.995		4.000	0.000	31.151	31.151	35.151								
8		चूँटी	लतरहातु (लाकम) नाला पर एकल चेकडैम निर्माण	47.692		37.468		0.000	3.533	3.533	41.001									
9		राँची	सोनाहातु	वाचम लहर सोरिया पर चेकडैम निर्माण		83.422		0.000	0.000	20.887	20.887	20.887								
योग :-								894.769		782.336	542.558	0.000	131.094		131.094	673.652				
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, लोहरदगा (LDGAR001)	लोहरदगा	कैरो	पुराना गारा नाला चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	53.330	2097 dt. 12.02.2019	44.107	24.000	0.000	20.052	20.052	44.052	55550						
11				टिको बोरीघाट पक्का चेकडैम का निर्माण		60.988		30.000	0.000	22.397	22.397	52.397								
12				धरईदह नाला पर चेकडैम निर्माण		51.590		23.000	0.000	19.223	19.223	42.223								
13				कुवा नदी पर चेकडैम निर्माण कार्य		43.511		20.709	0.000	10.078	10.078	30.787								
14				विरी नदी पर एकल चेकडैम संस्था-1		49.215		42.641	21.244	0.000	15.719	15.719	36.963							
15	लघु सिंचाई प्रमंडल, लोहरदगा	लोहरदगा	कैरो	पहाड़ नाला स0-3 पर चेकडैम निर्माण	83/2016-17 dt. 27.01.2017	48.034	2289 dt. 09.02.2017	43.115	33.045	0.000	4.789	4.789	37.834	55554						
16				जोरी (बाँकी नाला) श्रृं० चेकडैम निर्माण		152.912		112.784	0.000	12.785	12.785	125.569								
17				मन्डो उदवह सिंचाई योजना का निर्माण		72.473		1171 dt. 20.08.2019	59.694	0.000	12.193	12.193	12.193		55555					
योग :-								532.053		456.411	264.782	0.000	117.236		117.236	382.018				
18				लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर (JSRMR001)		पू० सिंहभूम		घाटशिला	कुन्दा नाला पर चेकडैम का निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	124.190	2097 dt. 12.02.2019	116.470		8.650	0.000	113.433	113.433	122.083	55553
सकल योग :-						1,551.012		1,355.217	815.990	0.000	361.763	361.763	1,177.753							

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव